न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

राजस्व वाद सख्या 31/2005

1 श्री भैरू पुत्र श्री मिश्री
2 श्रीमति गुलाबी बैवा मिश्री
3 श्री माधू
4 श्री कैलाश
5 श्री टीकम — पिसारान श्री रतन
6 श्री गौरख
7 श्री लाला
8 श्रीमति छोटी बैवा श्री रतन
समस्त जाति धोबी निवासीयान थाने के सामने, मसूदा जिला अजमेर
9 श्री कानाराम पुत्र घीसा जी जाति धोबी हाल निवासी खरवा जिला अजमेर राज0
10 श्री लाला पुत्र श्री घीसा जाति धोबी निवासी हाल गुलाबपुरा

—— **वादीगण**

बनाम

1 श्री मिट्ठू
2 श्री नाथू — पिसरा श्री लाडू जाति रावत
3 श्री सोहन — निवासी रामपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर
4 श्री सायर
5 श्री मोहन
6 श्री मदन — पिसरान श्री छोगा
7 श्री शंकर
8 श्री गोपी ———— फौत
9 श्री पूनमसिंह
10 श्री हेमसिंह
11 श्री फतेहसिंह — पिसरान किशना जी
12 श्री रामसिंह
13 श्री छोटूसिंह
14 श्रीमति जमनी बैवा श्री किशना
15 श्री हीरा पुत्र उरजा
सभी जाति रावतान निवासीयान गांव रामपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
16 श्री मंगला पुत्र श्री घीसा
17 श्री धन्नालाल पुत्र श्री गोदू — सभी जाति धोबी निवासी थाने के सामने
18 श्रीमति छोटी बैवा श्री गोदू — मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
19 श्री विष्णु पुत्र श्री रूपचंद
20 श्रीमति लाली बैवा रूपचंद
21 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील परिसर, मसूदा —— **प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक 01.09.2016

वादीगण ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक ख.नं. 1260 रकबा 2–15–10 हाल नं0 1153 रकबा 2–15–10 किस्म बारानी 3 पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 16 से 20 के पूर्वज स्व0 घीसा वल्द भांगू के पूर्वजों के समय से लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा उपभोग चला आ रहा है जिस पर वे चूना बनाने का कारोबार करते चले आये है । मांगूजी के मिश्री, रतन, गोदू, मंगल, कानाराम, रूपचंद व लाला हुए । इनमें से मिश्री, रतन, गोदू व रूपचंद फौत हो चुके है । स्व0 मिश्री के वारसान वादी सं 1 व 2 व स्व. रतन के वादी 3 से 8 तथा गोदू के प्रतिवादी सं 17–18 तथा रूपचंद के 19 व 20 है । स्व. मांगू के जीवित पुत्र वादी सं 9 व 10 तथा प्रतिवादी सं0 16 है ।

विवादित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं 16 से 20 के पूर्वजों द्वारा बनाये गये तीन पक्के चुने पत्थर के भट्टे तथा एक कोटडी एवं चूने का गोदाम जिसमे अभी तक चूना पडा हुआ है शेष भूमि में चूना बनाने के पत्थर एवं चूना पीसने के घरट बने हुए है तथा पशुओं के पानी पीने की खेली बनी हुई है । विवादित भूमि पर कभी काश्त नहीं की गई । यह स्व. मांगू जी के समय से इसी उपयोग में ली जाती रही है । इस पर पुराना बरगद का पेड गोदू जी का लगाया हुआ है । उस पर चूने के कारोबार के लिए ग्रामोद्योग बोर्ड जिला उद्योग केन्द्र से चूना कारोबार हेतु दिनांक 07.11.2001 को ऋण लिया गया धारा 91 एल आर एक्ट का प्रकरण सं. 24/97 अजनाम सरकार बनाम रतन से बताया गया । चूने पत्थर की रौयल्टी की वसूली का नोटिस भी दिनांक 10.11.1982 को खनिज अभियन्ता, अजमेर द्वारा गोदू जी के नाम से दिया गया । सरपंच, ग्रा.प. मसूदा ने इस पर बने भट्टे का मालिकाना प्रमाण–पत्र दिनांक 18.01.1983 को दिया है जिसके कारण वादीगण के पूर्वजों को बेदखल नहीं किया गया । विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 एवं 2041 तक सरकारी खाते दर्ज होती रही है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 16 से 20 के पूर्व मांगू व घीसा काबिज होकर चूने का उद्योग करते रहे उनके बाद से उनके वारिसान करते रहे है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 से 4 व 5 से 15 के क्रमशः पिता स्व0 लाडू व उरजा पिता दूला जाति रावत निवासी ग्राम रामपुरा ने बिना किसी अधिकार के गुपचुप तरीके से राजस्व कर्मीयों से मिली भगत करके वादीगण एवं प्रतिवादी सं 16 से 20 की जानकारी के बिना अपने नाम गैर खातेदारी में लगवाली जिसका इन्द्राज ना.क. 1103 से जमाबंदी संवत् 2043 से 2046 में करवा लिया है जिसकी जानकारी अभिलेख की नकले दिनांक 23.08.2004 को लेने पर हुई है । स्व0 उरजा एवं लाडू ने इस पर कभी काश्त नहीं की ना ही यह भूमि काबिल काश्त है इस पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 16 से 20 के पूर्वज चूना भट्टा चलाते आये है । विवादित आराजी का नियमन रजिस्टर क्रमांक 328 से दिनांक 18.06.1984 को ना. क. दर्ज होना बताया है जिसकी नकल उपखण्ड अधिकारी ब्यावर से मांगने पर अवगत कराया गया कि नियमन रजिस्टर में क्रम सं. 328 पर हीरा वगेरह पिता हरि का नाम दर्ज है तथा नियमन का कॉलम खाली है । इस प्रकार लाडू उरजा को नियमन नहीं की गई है और मिलीभगत से यह इन्द्राज कराये गये है इनके आधार पर ना.क. एवं इन्द्राज सभी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 16 से 20 के अधिकारों पर प्रभाव शून्य है । प्रतिवादी सं0 16 से 20 ने वाद खर्च देने से मना कर दिया इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 16 से 20 डिक्री किया जाकर उन्हें विवादित आराजी में खातेदार घोषित किया जावे तथा यह भी घोषित किया जावे कि लाडू व उरजा पिता दूला विवादित आराजी में खातेदार नहीं है और ना ही उनके नाम

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

रजिस्टर क्रमांक 328 से नियमन हुआ है व ना.क.सं. 1103 दिनांक 18.06.1984 से लाडू व उर्जा के नाम जो जुमाबंदियों में दर्ज चले आ रहे है अवैध है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी 16 से 20 के अधिकारों पर प्रभाव शून्य है । विवादित आराजी में यथा घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 16 से 20 का नाम प्रतिवादी सं 1 से 15 के स्थान पर लगाया जावे । प्रतिवादीगण सं0 1 से 15 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द करने, रहन बेचान आदि करने से निषेध किया जावे तथा दौराने वाद प्रतिवादी सं0 1 से 15 व प्रतिवादी सं 16 से 20 को बेदखल कर देते है अथवा भट्टे आदि में तोड फोड कर देते है या कब्जा कर लेते है तो वादीगण एवं प्रतिवादी सं 15 से 20 को कब्जा दिलवाया जावे तथा भट्टे आदि के नुकसान का खर्चा दिलवाया जावे ।

प्रतिवाद पत्र में प्रतिवादी सं 1 ने विवादित आराजी का स्थित होना स्वीकार करते हुए वंशावली से इन्कार किया है। विवादित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं 16 से 20 का कभी भी किसी भी रूप में कब्जा नहीं रहा न ही मौके पर चूना पत्थर एवं लकडियों का ढेर नहीं है । प्रतिवादी सं 1 से 15 विवादित भूमि में खातेदार काश्तकार होकर काश्त करते चले आ रहे है । वाद कथन सर्वथा कपोल कल्पित एवं झूठे है । अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि वाद तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं बनता । वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज योग्य है । विवादित आराजी प्रतिवादी सं 1 से 15 के पूर्वज लाडू एवं उरजा के कब्जे काश्त में रही है उनकी मृत्यु के बाद से उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है । अतः वाद पत्र खारिज किया जावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 15 को खर्चा दिलवाया जावे । प्रतिवादी संख्या 1–4 व 5 से 7 तथा 9 से 15 ने इसी जवाब दावे को उनकी और से पढ़े जाने का प्रा. पत्र दिनांक 16.10.2008 से किया है ।

प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर निम्न तनकियात कायम कर शहादत वादी तलब की गई ।

तनकी 1 (एक) आया कि वादी वादग्रस्त भूमि की घोषणात्मक अज्ञाप्ति अधिकारी है ।

तनकी 2 (दो) आया कि वादीगण वाद ग्रस्त आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ।

तनकी 3 (तीन) आया वादीगण वादग्रस्त आराजी का कब्जा प्राप्ति के अधिकारी है ?

तनकी 4 (चार) आया प्रतिवादीगण प्रतिवाद पत्र के पद सं0 12 से 16 में वर्णित कारणों से वाद खारिज कराने के अधिकारी है ?

तनकी 5 (पांच) आया कि प्रतिवादीगण विशेष हर्जा खर्चा प्राप्ति के अधिकारी है ?

वादीगण को शहदत वादी के लिए 20.11.2009 से दिनांक 06.05.2016 तक प्रयाप्त अवसर दिये जाने पर भी शपथ–पत्र शहादत वादी के पेश नहीं किये और समय चाहते रहे है अतः हक शहादत वादी बंद किये जाते है प्रतिवादीगण सं0 1 से 15 ने दस्तावेजी साक्ष्य को ही अपनी शहादत बताई है । वाद पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई । उभय पक्षान के तर्क वितर्क वाद एवं प्रतिवाद कथनानुसार ही रहे है ।

मैने पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया दस्तावेज वादीगण अनुसार ग्राम पंचायत मसूदा का प्रमाण–पत्र दिनांक 18.01.1983 में कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि यह प्रमाण–पत्र विवादित आराजी के लिए ही दिया गया हो अलबता इस में अवैध रूप में यह वाक्य कि "जो छीपो की पुल के पास है।" बाद में किसी अन्य व्यक्ति की लेखनी से लिखा गया है जो संदेह उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

करता है । शेष रसीदात है जो प्रकरण में प्रभावी नहीं है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 08–08–04 की छाया प्रति है जिसमें चूने भट्टे को मिठू वल्द लाडू द्वारा गिराया जाना बताया है तथा पुराने दो भट्टे व कोटडी पुरानी बनी होना अंकित है । इसमें पटवारी ने गोदू वल्द घीसा द्वारा निर्मित लोगों के कहने पर बताया है यह भी वादी को समर्थन नहीं करती । राजस्व अभिलेख प्रतिवादी सं 1 से 15 के पूर्वजों एवं उसके पक्ष में है । उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के यहां किये गये प्रमाणित–प्रति के आवेदन एवं इस पर कार्यालय टिप्पणी की छाया प्रति पेश की है जिसे परिक्षित नहीं करवाया गया है । ऐसी स्थिति में प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार तय किया जाता है ।

तनकी 1 (एक)इसका भार वादीगण पर रहा है और उन्होनें वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को संबंधित साक्ष्यों से परिक्षित नहीं कराया है । वादीगण स्वयं अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहे है अतः तनकी विरूद्ध वादीगण तय की जाती है ।

तनकी 2, 3 इनका भार भी वादीगण पर रहा है । वादीगण तनकी संख्या 1 को साबित करने से कासिर रहे है । ऐसे में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति एवं कब्जा प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाये जाते है ।

तनकी 4, 5 इन दोनों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं 1 से 15 पर रहा है उन्होंने प्रतिवाद पत्र में विवादित आराजी उनके बुर्जुयान की खातेदारी की होना कथन करते हुए विरासत से उनके नाम आने के कथन किये । शहादत कोई नहीं कराई है । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से ही वे विवादित भूमि में खातेदार पाये जाते है । इसलिए वाद कथनों से वाद खारिज कराने के अधिकारी पाये जाते है । प्रतिवाद पत्र पर विशेष खर्चे के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादी के वाद पर प्रतिवाद करना विधिनुसार उनका दायित्व था ।

अनुतोष ?

वादीगण अपने वाद पत्र पर अपने ही कृत्य से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्ति के अधिकारी नहीं पाये जाते है अतः वाद वादीगण सव्यय निरस्त किया जाता है । पक्षकारान वाद खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक. 01.09.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है ।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक
कलक्टर मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.06 16:29:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: